कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

MAIL

क्रमांकः–विधि / 13 / रिपि / 2023 / 589 दिनांकः– 13.03.2023

रजिस्ट्रार,
प्रशासनिक अनुभाग,
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल,
प्रमुख पीठ नई दिल्ली।

विषयः–ओरिजिनल आवेदन संख्या 828 / 2022 उनवान जुगेन्द्र व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य समक्ष माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रमुख पीठ नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के क्रम में।

प्रसंगः–माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रमुख पीठ नई दिल्ली के आदेश दिनांकित 06.01.2023 द्वारा गठित सयुंक्त कमेटी की रिपोर्ट जरिये ई–मेल आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अशोक कुमार शर्मा)
प्रभारी अधिकारी (विधि)
अति.जिला कलक्टर–तृतीय
जयपुर

कार्यालय जिला कलेक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.rajasthan.gov.in

क्रमांकः आर–1 / पर्या0 / कोटपूतली / 2023 / 1709 दिनांकः 10/3/2023

प्रभारी अधिकारी (विधि)
अति0 जिला कलक्टर–तृतीय, जयपुर।

विषय :–	ऑरिजनल आवेदन संख्या 828 / 2022 उनवान जुगेन्द्र व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य बैंच नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 के संबंध में।
प्रसंगः–	आपका पत्रांक विधि / 13 / रिपि / 2023 / 388 दिनांक 17.01.2023

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर–कोटपूतली जिला जयपुर से माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली ओरिजनल प्रार्थना–पत्र नम्बर 828 / 2022 जुगेन्द्र व अन्य बनाम राज0 राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 की पालना में ग्राम नवलकुशलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में चरागाह / गै0मु0 पहाड पर अतिक्रमण व अवैध खनन के संबंध में गठित संयुक्त कमेटी द्वारा दिनांक 02.03.2023 को क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः प्रकरण में प्राप्त जांच रिपोर्ट की प्रति पत्र के संलग्न आपको भिजवाई जा रही है। आप माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य बैंच नई दिल्ली में उपरोक्त जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का श्रम करावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

(दिनेश शर्मा)
अति0कलक्टर–प्रथम
प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा
कलक्ट्रेट, जयपुर

JCO
Put up urgent.
10/3/2023

Signature valid
Digitally signed by Dinesh Kumar Sharma
Designation : Additional Collector And Additional District Magistrate
Date: 2023.03.10 16:24:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3358588

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटपुतली (जयपुर)

क्रमांक: पी.ए./2023/63

दिनांक 08/03/2023

जिला कलेक्टर महोदय,
जयपुर.

विषय: माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली ओरिजिनल प्रार्थना पत्र नंबर 828/2022 जुगेन्द्र व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/01/2023 की पालना बाबत।

संदर्भ: महोदय का कार्यालय आदेश क्रमांक: आर-1/(13)2023/ पर्या0/1512 दिनांक 27/12/2023.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश की अनुपालना में गठित दल द्वारा दिनांक 02/03/2023 को क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की गई जो कि संलग्न कर प्रेषित है।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
कोटपुतली (जयपुर)

प्रतिलिपि:

1. क्षेत्रीय अधिकारी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर (उत्तर) ।
2. सहायक खनि अभियंता कोटपूतली, खान एवं भू विज्ञान विभाग जयपुर।

(रविन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
कोटपुतली (जयपुर)

Report of the committee constituted by the Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi

in the matter of

Jugendra & Ors V/s State of Rajasthan

OA No. 828/2022

The details of the case are as under

1. Applicant:- Jugendra & Ors
2. Respondents:- State of Rajasthan
3. Background:-
   (i) Application was registered based on a complaint received by e-mail.
   (ii) Grievance is that there is illegal encroachment and mining on Khasra No. 126 which, as per revenue record, is a grazing land/Gair Mumkin Pahad; and Khasra Nos. 135 and 245 which are Gair Mumkin Pahad in Village Naval Kushalpura, Post Narheda, Tehsil Kotputli, District Jaipur. The said illegal mining is likely to damage an ancient temple, and also houses of residents since for the purpose of mining, blasting operations are being carried out.
4. Hon'ble NGT Principal Bench order dated 06.01.2023 :-

   The order of Hon'ble NGT inter-alia says as under

   "3. However, before taking any further action in the matter, we find it appropriate to obtain a factual report for the purpose whereof, we constitute a joint Committee comprising State PCB and District Magistrate, Jaipur who shall visit the site, collect relevant information and submit a factual and action taken, if any, report within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.
   4. District Magistrate, Jaipur will be nodal agency for coordination and compliance."

5. Field Visit:-
   The committee of following was constituted vide order dated 27.02.2023 of District Magistrate, Jaipur:-

(i) Additional District Magistrate, Kotputli
(ii) Regional Officer, Jaipur (North), Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
(iii) Assistant Mining Engineer, Kotputli, Distt. Jaipur

The committee visited the site on 02.03.2023 and observations of the committee during the field visit are as under:-

(i) That Khasra no. 126, 135 & 245, Village Nawal Kushal pura, Tehsil Kotputli, Distt. Jaipur were visited alongwith the revenue record.
(ii) There are two mining leases in the area under consideration, M.L. No. 20/1984 in Khasra No. 126, 135 & 245and M.L. No. 155/1993 in Khasra No. 245.Within the lease area of M.L. No 20/1984 there is a small old structure of Approx. 2.5feet x 2.5feet x 2.5feet size made up of sand bricks on a hillock for which possibility of damage has been expressed due to blasting operations to be carried out for the purpose of mining.
(iii) There were some iron and construction material lying on the site of temple within mining lease, nearby villagers reported that it was tried to construct the temple here but because of intervention from the mining lease holder, same could not be completed.
(iv) That near the mining lease No. 20/1984there are few houses in Khasra number 126 in which 8-10 families of Banjara cast residing. These houses are at the distance of approx. 50 meters from the mined out pit.
(iii) No activity related to mining found on site during inspection.
(iv) No illegal mining was observed on these Khasra no. 126, 135 & 245 of village Nawal Kushal Pura, Tehsil Kotputli, Distt. Jaipur.

6. <u>Permissions issued for the mining lease</u> :-
(i) Mining lease no. 20/1984 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- Smt. Pushpa Saini W/o Sh. Chothmal Saini) mining lease is valid upto 08.12.2035.Environmental Clearance was issued by SEIAA, Jaipur on dated 22.11.2016.Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 17.06.2021 which is valid upto 31.05.2026.
(ii) Mining lease no. 155/1993 allotted by the Department of Mines and Geology, (present lease holder- M/s Tirupati Stone Crushing

Co.) mining lease is valid upto 28.06.2044.Environmental Clearance was issued by DEIAA, Jaipur on dated 30.05.2016.Consent to operate under the provisions of Air Act, 1981 granted on 15.12.2022 which is valid upto 31.12.2027.

7. Enclosures:-
   - (i) Copy of Mauka Fard prepared by revenue department.(Annex.-1)
   - (ii) Copy of report prepared by Mining Deptt.(Annex.-2)
   - (iii) Photographs taken during site visit.(Annex.-3)
8. Conclusion:-
   - (i) There is no illegal mining on khasra No. 126, 135 & 245, Vill. Naval Kushalpura, Tehsil Kotputli, Distt. Jaipur.There are few houses on Khasra number 126 in which 8-10 families of Banjara cast residing from last 15-20 years.
   - (ii) That possibility of damage of the structure of temple or nearby houses due to blasting can be assessed only after seismic study.

(D.S.Meena)	(Vijay Sharma)	(Ravindra Kr. Sharma)
AME, Kotputli	RO,RSPCB, Jaipur(North)	ADM, Kotputli

Annex. - 1

फर्द मौका रिपोर्ट

श्रीमान तहसीलदार महो० के आदेश क्रमांक/मु.अ./23/799 दिनांक 01/03/2023 की पालना मे आज दिनांक 02/03/23 को श्रीमान जिला कलेक्टर महो० द्वारा गठित अधिकारीगणो की टीम के साथ ग्राम नवल ~~किशोर पुरा~~ लक्ष्मणपुरा के ख.नं. 126, 135, 245 पर मय राजस्व रेकार्ड के पहुचा, गठित टीम को मुताबिक रेकार्ड के वर्णित खसरा नम्बरो का मौका निरिक्षण करवाया गया।

राजस्व रेकार्ड के अनुसार ख.नं. $\frac{126}{2.53}$ $\frac{135}{8.33}$ $\frac{245}{7.50}$ समस्त की किस्म गै.मु. पहाड दर्ज रेकार्ड है।

खनन विभाग के अधिकारियो ने मौके पर ही बताया कि ख.नं. 126 एवं 245 मे लीज स्वीकृत है।

ख.नं. 126 मे खनन किया हुआ है, फिलहाल खनन कार्य बन्द है, एवं लीज धारक द्वारा खनन नही किया जा रहा है। ख.नं. 126 मे एक 2.5×2.5 वर्गफीट की भोमिया जी देवता की गुमटी बनी है, जिसे ग्रामवासी काफी पुरानी बता रहे है। मुताबिक रेकार्ड के ख.नं. 135/467 गै.मु. आबादी है, जिससे लगभग 225 मीटर दुरी पर ख.नं. 126 (गै.मु. पहाड) स्थित है जिसमे 8-10 बंजारा जाति के परिवार कच्चे/पक्के मकान बनाकर 15-20 वर्षो से निवास करना बताया गया है। ख.नं. 126 मे किये गये खनन से इन घरो की दुरी 50 मीटर है, फर्द मौका रिपोर्ट मौके पर ही तैयार की गई।

(हस्ताक्षर) 02/03/23

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू०अ०)
तहसील - कोटपूतली (जयपुर)

जयसिंह
02/03/23
जयसिंह गुर्जर
राजस्व पटवारी, प०म० नारेहडा
तह० कोटपूतली (जयपुर) राज०

Annex. - 2

संशोधित

राजस्थान सरकार

कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, कोटपूतली

–:रिपोर्ट:–

माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली ओरिजनल एप्लीकेशन संख्या 828/2022 जुगेन्द्र व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.01.2023 की पालना में ग्राम नवलकुशालपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर में चारागाह/गैर मुमकिन पहाड पर अतिक्रमण व अवैध खनन के संबधं में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु माननीय जिला कलक्टर महोदय, जयपुर द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर मुख्यालय कोटपूतली की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। आज दिनांक 02.03.2023 को उक्त गठित कमेटी एवं तहसीलदार कोटपूतली व हल्का पटवारी ग्राम नवलकुशालपुरा व कार्यालय के तकनीकी कर्मचारी द्वारा संयुक्त मौका देखा गया। माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में वर्णित खसरा संख्या 126, 245, 135 ग्राम नवलकुशालपुरा को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सत्यापित किया जाकर भूमि किस्म गैर मुमकिन पहाड होना बताया गया, जिसके आधार पर पाया गया कि खसरा संख्या 126, 135 व 245 में खनिज विभाग द्वारा एक खननपट्टा संख्या 20/1984 क्षेत्र 16.6251 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 245 में खनन पट्टा संख्या 155/1993 क्षेत्र 1.00 हैक्टर के लिए स्वीकृत होकर प्रभावशील हैं

वक्त निरीक्षण खननपट्टा एम एल 20/1984 एवं 155/1933 में समस्त खनन गतिविधियां बंद पाई गई। मौके पर जांच करने पर उक्त पट्टेधारियों द्वारा पूर्व में किया गया खननकार्य स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाना पाया गया। मौके पर उक्त खसरा संख्या 126, 135 व 245 में अवैध खनन होना नहीं पाया गया। खनन पट्टा संख्या 20/1984 के पट्टाधारी द्वारा उक्त खननपट्टा क्षेत्र में खननकार्य के संबंध में नियमानुसार खान सुरक्षा महानिदेशालय, अजमेर क्षेत्र, अजमेर के पत्रांक 1104 दिनांक 20.08.2020 से धातुप्रद खान विनियम, 1961 के विनियम 106(2)(बी) के तहत डीप होल ब्लास्टिंग के साथ भारी मशीनों के प्रयोग की अनुमति व राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पत्रांक 10264 दिनांक 17.06.2021 से अवधि दिनांक 03.06.2021 से 31.05.2026 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट व SEIAA, JAIPUR के आदेश दिनांक 22.11.2016 से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की हुई हैं।

खनन पट्टा संख्या 155/1993 के पट्टाधारी द्वारा उक्त खननपट्टा क्षेत्र में खननकार्य के संबंध में नियमानुसार राजस्थान प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के पत्रांक 4811 दिनांक 15.12.2022 से अवधि दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2027 तक के लिए कन्सेन्ट टू ऑपरेट व DEIAA, JAIPUR के आदेश दिनांक 30.05.2016 से पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की हुई हैं।

(धर्मसिंह मीना) 08/03/23
सहायक खनि अभियंता
कोटपूतली

(प्रेमराम मीना)
सर्वेयर (कोटपूतली)

Annex. - 3

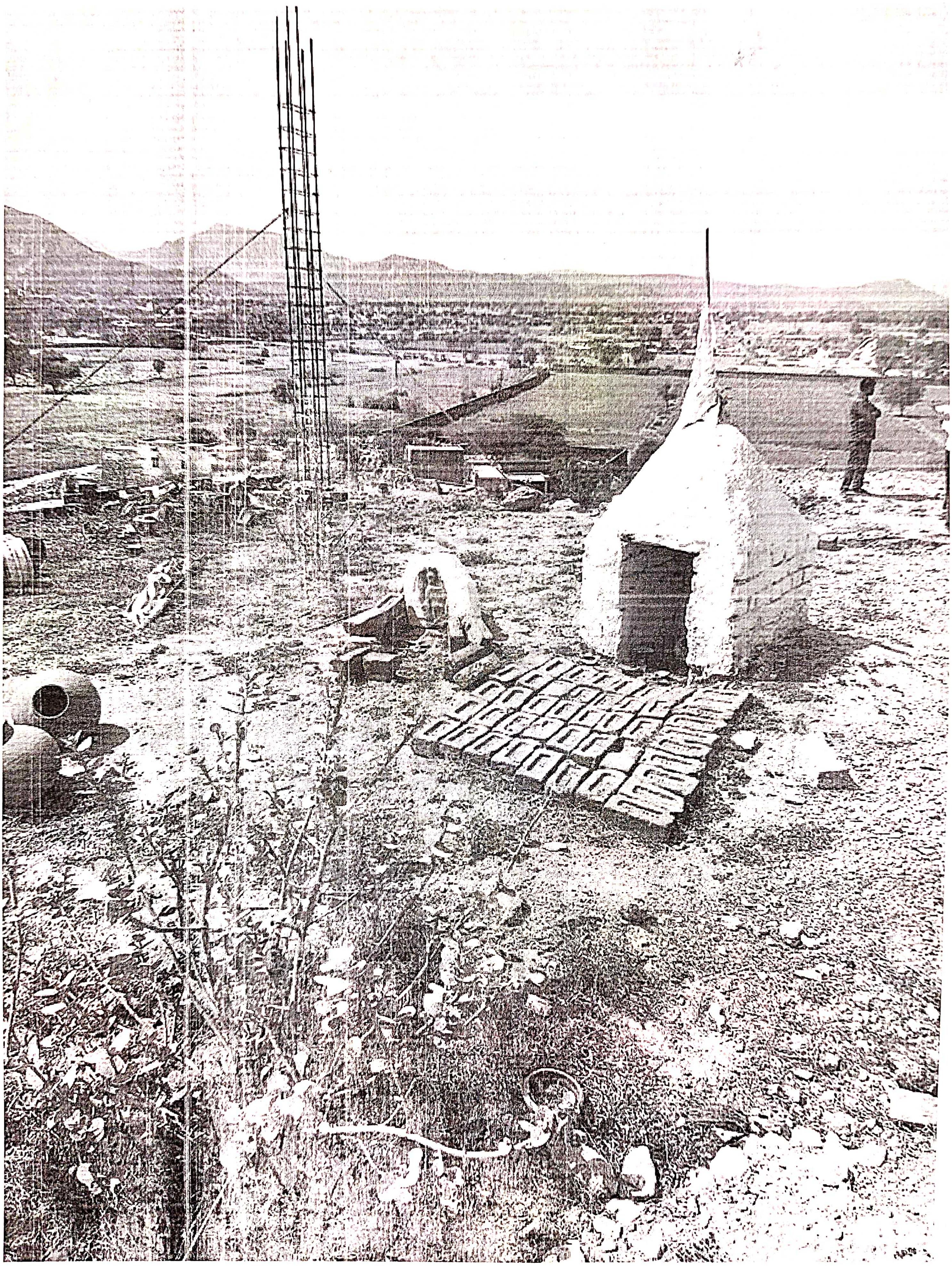

20/1986